[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**(राजस्व विभाग)**
**केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड**

**अधिसूचना संख्या 01/2021-केन्द्रीय कर**

**नई दिल्ली, तारीख 01 जनवरी, 2021**

सा.का.नि. (अ). केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 59 में उपनियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"(6) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,-

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप **जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप **जीएसटीआर-1** में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप **जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसपर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप **जीएसटीआर-1** में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप **जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

[फा॰ संख्या सीबीईसी-20/06/04/2020– जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

नोट: मूल नियम अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 610(अ) दिनाँक 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 786 (अ), दिनाँक 22 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनाँक 22 दिसम्बर, 2020 के द्वारा किया गया था।